उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-2812/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(30)-2008

लखनऊ::दिनांक:: 29 सितम्बर, 2008

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की विद्यमान अनुसूची को निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित करते हैं:-

अनुसूची

1. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित कच्चा तेल
2. मशीन और मशीन के पुर्जे जिनकी कीमत दस लाख रूपये या उससे अधिक हो
3. प्राकृतिक गैस
4. बिना लेवी की चीनी
5. सिगरेट के रूप में तम्बाकू
6. सभी प्रकार के कागज
7. तम्बाकूयुक्त पान मसाला (गुटका)
8. सीमेन्ट
9. कोयला
10. भारत के बाहर से आयातित सभी प्रकार के और सभी वृक्षों के, चाहे वे किसी भी प्रजाति के हों, काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बल्लियां और बॉस भी हैं, चाहे वे उगाई जा रही हो या काट दी गयी हो या चीरी गई हों
11. हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर कैरोसिन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जन वितरण प्रणाली का कैरोसिन आयल सम्मिलित नहीं है
12. क्लिंकर
13. ट्रैक्टर को छोड़कर सभी प्रकार के मोटर व्हैकिल्स एवं इनके चेसिस
14. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित लोहा और इस्पात

15. एल्यूमिनियम एवं इसके उत्पाद जिसमें एल्यूमिनियम के बर्तन सम्मिलित नहीं हैं

16. सभी प्रकार के केबिल्स

17. लैपटाप, कम्प्यूटर सिस्टम और पेरीफेरल्स, टी0वी0 जिसमें एल0सी0डी0 टी0वी0 सम्मिलित हैं

18. टायर एवं ट्यूब्स जिसमें साइकिल, साइकिल रिक्शा एवं पशुचालित वाहन के टायर एवं ट्यूब्स सम्मिलित नहीं हैं

19. मार्बल पत्थर एवं इनके टाइल्स

20. रेफ्रीजरेटर, एअर कन्डीशनर एवं एअर कन्डिशनिंग प्लांट्स

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव।